न्यायालय नायब तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 19/2024–25 तारीख दायर :–01.08.2024 दिनांक निर्णय :–27.08.2024

पटवारी हल्का मोतीवाड़ा जरिये तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद गुर्जर निवासी ग्राम मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान
भू0 राजस्व अधिनियम–1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मोतीवाड़ा द्वारा राजस्व ग्राम मोतीवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.25 हैक्ट0 किस्म चारागाह पर बाजरा की फसल काश्त कर अतिक्रमण करने पर राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद गुर्जर निवासी ग्राम मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त हुई। गैरसायल/अप्रार्थी बावजूद तामिल के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहा। अप्रार्थी की विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी की मोतीवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.25 हैक्ट0 किस्म चारागाह पर अतिक्रमण कायम रखने की मंशा प्रतित होती है। भू0अ0निरीक्षक नीमला व पटवारी हल्का मोतीवाड़ा की रिपोर्ट सम्वत 2081 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा ग्राम मोतीवाड़ा की चारागाह भूमि पर किये गये अतिकमण की पुष्टि होती है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है किः–

अतिक्रमी राधेश्याम पुत्र रामप्रसाद गुर्जर निवासी ग्राम मोतीवाड़ा तहसील राजगढ़ जिला अलवर वाके ग्राम मोतीवाड़ा के आराजी खसरा नम्बर 198 रकबा 0.25 हैक्ट0 किस्म चारागाह भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1 की 50 गुणा में मु0 50.00/–रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावें। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों नीमला एंव पटवारी हल्का मोतीवाड़ा को आदेश दिये जाते है कि अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

आज दिनांक 27.08.2024 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नायब तहसीलदार
नायब तहसीलदार
राजगढ़ (अलवर)

रा. ले. स. 4 वर्ष 2024-25
के पृष्ठ संख्या 66 प2-पा.पं. 50/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार